



26/8/25

D. 3.

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य  
केमला अलारिया, सदस्य

वकील अपीलान व अपीलान  
की बार-बार रुक रुक कर आवाजे  
लगवारी गई। आवाजे लगवों के आवक  
कोर उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अडम  
हाजरी व अडम पैरवी में शारीर की जाही  
है। पत्रावली बाद कार्रवाही कारिबल दफ्तर  
में आदेश खुले व्यायालय में सुनाया गया।

  
सदस्य  
केमला अलारिया

  
सदस्य  
डॉ. शिव प्रसाद सिंह